

## Order sheet [Contd]

case No: B.A. - 340 / 17

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
<p>26-09-17 02:30 to 02:45 pm</p>	<p>आवेदक प्रमोद उर्फ पहाड़ी द्वारा श्री सुरेश सिंह गुर्जर अधिवक्ता उप0।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (श्री पंकज शर्मा) के मूल अपराधिक प्रकरण क्रमांक 332/17 उनवान पुलिस थाना मौ बनाम प्रमोद उर्फ पहाड़ी का मूल अभिलेख प्राप्त।</p> <p>आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 के साथ में आवेदक के पिता अतर सिंह का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 है। इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। केस डायरी से भी ऐसा ही स्पष्ट है।</p> <p>जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक की ओर से व्यक्त किया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उससे कोई शराब जप्त नहीं हुई है, उसे झूठा फसाया गया है। वह निर्दोष है। वह काफी समय से जेल में बंद है और प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगेगा। उक्त आधारों पर आवेदन स्वीकार कर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>राज्य की ओर से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 29.05.17 को किटेना मोड पर पुलिया के पास आवेदक/अभियुक्त प्रमोद उर्फ पहाड़ी के आधिपत्य से दो केन कुल 71 लीटर कच्ची शराब जप्त की गई है। इस प्रकार शराब की मात्र 50 बल्क लीटर से अधिक है। अतः मामले की परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।</p> <p>आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख सहित वापिस भेजी जावे।</p> <p>नतीजा दर्ज करने के बाद यह आदेश पत्रिका एवं जमानत प्रपत्र अभिलेखागार में भेजा जावे।</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>(मोहम्मद अजहर)</p> <p>द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश</p> <p>गोहद जिला भिण्ड</p>	

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)